केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

याचिका संख्या 397/टीएल/2019 दिनांक : 27.01.2020

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के आधार पर "राजस्थान एसाईजेड के लिए संबद्ध बेज के साथ अजमेर (पीजी)–फागी 765 किलोवाट डी/सी लाईन के निर्माण" की स्थापना के लिए अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीटयूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा आवेदन किया गया है:

क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1.	अजमेर (पीजी)–फागी (आरवीपीएन) 765 किलोवाट डी/सी लाईन	15 महीने (दिसम्बर, 2020)
2.	अजमेर (पीजी)–फागी (आरवीपीएन) 765 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए अजमेर (पीजी) सबस्टेशन पर 765 किलोवाट लाईन बेज (एआईएस) की 2 संख्या	
3.	अजमेर (पीजी)–फागी (आरवीपीएन) 765 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए फागी सबस्टेशन पर 765 किलोवाट बे (एआईएस) एवं 1 संपूर्ण जीआईएस डीआईए 765 किलोवाट (2 मेन ब्रेकर्स एवं 1 टाई ब्रेकर) की 1 संख्या	
4.	1x80 अतिरिक्त एमवीएआर, 765 किलोवाट रिएक्टर (अतिरिक्त) के साथ फागी सबस्टेशन पर जीआईएस बे (अजमेर से 765 किलोवाट डी/सी लाईन के समापन के लिए बनाए जा रहे नवीन डीआईए की दूसरी मेन बे) के साथ 3 x 80 एमवीएआर, 765 किलोवाट बस रिएक्टर	

2. आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर रु. 613.31 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।
3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।
4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 397/टीएल/2019 में दिनांक 24.01.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।
5. अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.powergridindia.com में देखा जा सकता है या निर्धारित कियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 12.2.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदन को यथासमय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(सनोज कुमार झा)
सचिव